प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी बरहज
भागवत बनाम सरकार) वाद सं० T202520550 42492
धारा 80 ग्राम करायल शुक्ल
तप्पा कपरवार परगना सि० गा०
त० बरहज नकल आदेश निर्णय

5-9-22 2

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :देवरिया,तहसील :बरहज
वाद संख्या :-2492/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202252055042492
भागवत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद भागवत पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम करायल शुक्ल तप्पा कपरवार प.स.म. तहसील- बरहज जनपद- देवरिया द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अर्न्तगत आराजी मौजा-, करायल शुक्ल तथा कपरवार के आराजी नं0 495/0.514हे0 में से ½ भाग यानि रकबा 0.257हे0 के बावत् वाद योजित कर कहा गया है कि वादी मौजा- करायल शुक्ल तप्पा कपरवार के आराजी नं0 495/0.514हे0 में से गैर कृषि के उद्देश्य से प्रयुक्त जोत ½ भाग यानि रकबा 0.257हे0 है। उक्त आराजी में कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जिसे अकृषिक घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त के आलोक में तहसीलदार बरहज की प्राप्त जांच आख्या दिनांक- 10.08.2022 तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया मौजा करायल शुक्ल तप्पा कपरवार स्थित आराजी नं0 495/0.514हे0 में भागवत पुत्र रमाकान्त नि0 ग्राम के नाम सं0 भू0 सहखातेदार के रूप में अंकित है जिसमें प्रार्थी का अंश ½ भाग यानि 0.257हे0 है। मौके पर उक्त आराजी में प्रार्थी के अंश 0.257हे0 में कृषि जोत के रूप में प्रयोग हो रहा है तथा वर्तमान में धान की फसल बोई गई है। वादी द्वारा सीमांकन शुल्क मु0 1000/- चालान संख्या 3500/01/HB00048 चालान के माध्यम से जमा किया गया है । वादी द्वारा मौके का फोटोग्राफ, नजरी नक्शा तथा सभी सहखातेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। उ0प्र0 राजस्व संहिता- 2006 की धारा- 80 के अर्न्तगत कृषि, बागवानी तथा पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है) से असम्बद्ध प्रयोजनों हेतु प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। ऐसी दशा में विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः तहसीलदार बरहज की आख्या दिनांक 10.08.2022 से सहमत होते हुये मौजा करायल शुक्ल तप्पा कपरवार स्थित आराजी नं0 495 रकबा 0.514हे0 में से ½ भाग यानि रकबा 0.257हे0 भागवत पुत्र रमाकान्त नि0 ग्रा0 के नाम अंकित भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक बरहज को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

प्रतिलिपि प्राप्त प्रति
तुलना कर्ता

दिनांक- 05-09-22

(राजेन्द्र कुमार)
उपजिलाधिकारी,
बरहज।

2
1000
5-9-22

673

प्रतिलिपि सहायक

4/9/22

पृष्ठ संख्या

न्यायालय उपजिलाधिकारी
भागवत बनाम उ०प्र० सरकार

धारा 80(1) उ०प्र० रा० सं०
वाद सं० T-202252055042498
मौ० पुरैना शुक्ल तप्पा-कपरवार प० ह० म० त० बरहज जि० देवरिया
नकल आदेश दिनांक 11/08/2022

2

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :देवरिया,तहसील :बरहज
वाद संख्या :-2498/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202252055042498
भागवत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद भागवत पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम करायल शुक्ल तप्पा कपरवार प.स.म. तहसील- बरहज जनपद- देवरिया द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अर्न्तगत आराजी मौजा- पुरैना शुक्ल तप्पा कपरवार के आराजी नं0 84 रकबा 1.202है0 में से 1/2 यानि रकबा 0.601है0 के बावत् वाद योजित कर कहा गया है कि वादी मौजा- पुरैना शुक्ल तप्पा कपरवार के आराजी नं0 84 रकबा 1.202है0 में से 1/2 यानि रकबा 0.601है0 पर मकान सहित बाउण्ड्री निर्मित है। उक्त आराजी में कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जाता है। जिसे अकृषिक घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त के आलोक में तहसीलदार बरहज की प्राप्त जांच आख्या दिनांक- 10.08.2022 तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया मौजा पुरैना शुक्ल तप्पा कपरवार स्थित गाटा संख्या 84/1.202है0 भूमि में भागवत पुत्र रमाकान्त नि0ग्रा0 करायल शुक्ल के नाम सहखातेदार सं0भू0 के रूप में अंकित है जिसमे प्रार्थी का अंश 1/2 भाग यानि 0.601है0 है। जिसमे दो मंजिला विद्यालय एस0बी0जी0 कालेज फार्मेसी व बाउण्ड्री वाल चला दिया गया है और मौके पर अकृषिक रूप में प्रयोग हो रहा है। वादी व्दारा उद्‌घोषणा शुल्क मु0 49530/- चालान सं0 3500/01/HB00011 दिनांक 11.08.2022 तथा सीमांकन शुल्क मु0 1000/- चालान सं0 3500/01/HB00047 चालान के माध्यम से जमा किया गया है तथा न्यायालय शुल्क मु0 49530/- स्टैम्प के माध्यम से अदा किया गया है। वादी व्दारा मौके का फोटोग्राफ, नजरी नक्शा तथा सभी सहखातेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। उ0प्र0 राजस्व संहिता- 2006 की धारा- 80 के अर्न्तगत कृषि, बागवानी तथा पशुपालन (जिसमें मतस्य पालन कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है) से असम्बद्ध प्रयोजनों हेतु भूखण्ड को अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। ऐसी दशा में विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः तहसीलदार बरहज की आख्या दिनांक 10.08.2022 से सहमत होते हुये मौजा पुरैना शुक्ल तप्पा कपरवार स्थित गाटा सं0 84/1.202है0 में से ½ भाग यानि रकबा 0.601है0 भागवत पुत्र रमाकान्त नि0 ग्रा0 करायल शुक्ल के नाम अंकित भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक बरहज को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(गजेन्द्र कुमार)
उपजिलाधिकारी,
बरहज।

दिनांक- 11-08-22